एमडी ड्रग्स के नाम पर यूरिया जब्ती पर सीपी हुए सख्त, दिए जांच के आदेश

- डीसीपी स्तर के अधिकारी से होगी पूरे खेल की जांच
- फॉरेंसिक रिपोर्ट में 198 ग्राम 'ड्रग' निकली साधारण खाद
- चालान की जगह पुलिस ने चुपचाप लगाई खात्मा रिपोर्ट

नव भारत न्यूज

इंदौर. तेजाजी नगर पुलिस द्वारा एमडी ड्रग्स के नाम पर की गई बड़ी जब्ती अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है. करीब एक साल पहले पकड़े गए 198 ग्राम मादक पदार्थ को लेकर भोपाल फॉरेंसिक लैब ने स्पष्ट किया कि वह नशीला ड्रग नहीं, बल्कि साधारण यूरिया है. रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस द्वारा बिना शोर-शराबे के खात्मा रिपोर्ट लगाने पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सख्त हो गए हैं और पूरे प्रकरण की जांच डीसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है.

एमडी ड्रग्स पकड़ने का दावा करने वाली तेजाजी नगर पुलिस की कार्रवाई फर्जी मानी जा रही है. 26 फरवरी 2025 को रालामंडल क्षेत्र से विजय पाटीदार और शाहरुख नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उस समय दावा किया था कि उनके पास से 198 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुई है और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था. इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक रवि बट्टी, मनोज दुबे सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. बाद में इसी मामले में सिपाही लखन गुप्ता पर आरोपियों से सांठगांठ के आरोप लगे, जिसके बाद उसे आरोपी बनाकर निलंबित कर दिया था.

फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने खोल दी पोल

करीब एक साल बाद भोपाल स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब से आई रिपोर्ट ने पूरे केस की पोल खोल दी. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि जब्त किया गया पदार्थ किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ नहीं, बल्कि सामान्य यूरिया पाउडर है. हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी चूक सामने आने के बाद तेजाजी नगर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश करने के बजाय चुपचाप खात्मा रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसे अपर सत्र न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया.

कहां और किस स्तर पर चूक या खेल हुआ, इसकी की जाएगी जांच

रिपोर्ट आने के बाद अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने डीसीपी स्तर के अधिकारी को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं. जांच में यह तय किया जाएगा कि एमडी ड्रग्स के नाम पर यूरिया कैसे जब्त किया, इस प्रक्रिया में कहां और किस स्तर पर चूक या खेल हुआ और किन पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध रही. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल युवक की मौत

इंदौर. किशनगंज क्षेत्र में एबी रोड स्थित सिमचा आईलैंड के पास हुए सड़क हादसे में 29 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान सौरभ मंडलोई पिता अमर सिंह, निवासी 20 तहसील कॉलोनी, महू ओल्ड राधास्वामी कैंपस के रूप में हुई है. थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि घटना 16 जनवरी की शाम करीब 5 बजे की है, सिमचा आईलैंड से पीथमपुर की ओर जाते समय कार नम्बर एमपी 10 सीए 4205 के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए आगे चल रही बाइक क्र. एमपी 09 वीएल 5654 को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी, हादसे में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया था, जहां इलाज के दौरान 25 जनवरी की रात 11.46 बजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में उसकी मौत हो थी. घटना के चश्मदीद 58 वर्षीय परमात्मा दुबे और 33 वर्षीय गोपाल केवट ने पुलिस को बयान देकर हादसा अपनी आंखों से देखने की पुष्टि की. एमवाय अस्पताल से मिली सूचना पर मर्ग के आधार पर जांच की गई, जिसके बाद लापरवाह कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लेकर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है.

इंदौर की हवाई कनेक्टिविटी को फिर लगा झटका

- समर शेड्यूल से नासिक-उदयपुर उड़ानें पूरी तरह बंद
- इंडिगो ने वेबसाइट से हटाई बुकिंग

इंदौर. इंदौर से हवाई सफर करने वालों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. मार्च के अंत से लागू होने वाले समर शेड्यूल में इंडिगो एयरलाइंस ने इंदौर से नासिक और उदयपुर की सीधी उड़ानों को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है. कंपनी ने दोनों रूट की बुकिंग भी अपनी वेबसाइट से हटा दी है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ना तय है.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी 29 मार्च से लागू होने वाले प्रस्तावित समर शेड्यूल में इंदौर से नासिक और उदयपुर के लिए किसी भी उड़ान का उल्लेख नहीं किया है. इंडिगो ने 27 मार्च के बाद उदयपुर और 28 मार्च के बाद नासिक के लिए टिकटों की बुकिंग पूरी तरह बंद कर दी है. इन दोनों रूट के बंद होने से धार्मिक यात्रियों और पर्यटकों को बड़ा झटका लगेगा. इंडिगो पहले ही इंदौर-शिर्डी सीधी फ्लाइट बंद कर चुका है. अब तक श्रद्धालु नासिक उतरकर सड़क मार्ग से शिर्डी पहुंचते थे, लेकिन नासिक की उड़ान बंद होने से यह विकल्प भी खत्म हो जाएगा. वहीं उदयपुर, राजस्थान का प्रमुख पर्यटन केंद्र है. सीधी हवाई सेवा बंद होने से अब पर्यटकों को लंबा सड़क या रेल सफर करना मजबूरी होगा.

लगातार कमजोर होती जा रही इंदौर से उड़ानों की कनेक्टिविटी

इंदौर से उड़ानों की कनेक्टिविटी पहले भी लगातार कमजोर होती जा रही है. बीते कुछ समय में कई शहरों से सीधी उड़ानें बंद हो चुकी हैं. इनमें जोधपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सूरत, राजकोट, वडोदरा, बिलासपुर, अमृतसर, किशनगढ़ और बेलगाम शामिल हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार वर्तमान उड़ान शेड्यूल पर असर इसलिए भी पड़ा है क्योंकि रनवे मरम्मत के चलते इंदौर एयरपोर्ट रात 10.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक बंद रहता है. इंदौर एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुनील मग्गीरवार ने बताया कि रनवे का काम मार्च के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है. इसके बाद अप्रैल से एयरपोर्ट 24 घंटे संचालन में आ जाएगा. इससे नई उड़ानों के शुरू होने और यात्री संख्या में बड़े इजाफे की उम्मीद है.

पुराने टर्मिनल को फिर से शुरू करने की तैयारी भी

ट्रेवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अमूल कटारिया के अनुसार फरवरी और मार्च की शुरुआत में परीक्षा सत्र के कारण यात्रियों की संख्या स्थिर रह सकती है, लेकिन मार्च के मध्य और अप्रैल में छुट्टियां शुरू होते ही यात्री ट्रैफिक पांच लाख के पार जा सकता है. समर वेकेशन के लिए बुकिंग अभी से तेज हो चुकी है. एयरपोर्ट प्रबंधन नए साल में पुराने टर्मिनल को फिर से शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है, जहां से एटीआर विमानों का संचालन होगा. इससे मुख्य टर्मिनल पर भीड़ कम होगी और चेक-इन व सुरक्षा जांच की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकेगी. लगातार बंद होती उड़ानों के बीच अब उम्मीद की नजरें अप्रैल से शुरू होने वाले 24 घंटे संचालन और संभावित नई फ्लाइट्स पर टिकी हैं.

एक नजर में

राज्य स्तरीय फुटबॉल : बड़वानी और भोपाल सेमीफाइनल में

महू. मध्यप्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन एवं इंदौर जिला फुटबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में स्व. भगवानदास शर्मा एवं प्रख्यात फुटबॉलर स्व. शंकरराव नवग्रहे (शंकर दादा) की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को दो शानदार रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए. इसमें बड़वानी और भोपाल ने अपने मैच जीतकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया. प्रतियोगिता के संयोजक नीरज शर्मा एवं अमित शुक्ला ने बताया कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने आज अतिथि के तौर पर कार्यालय छावनी परिषद महू के अधीक्षक सतीश अग्रवाल और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह बुंदेला उपस्थित रहे. इस अक्सर पर इंदौर जिला फुटबॉल संघ से जगदीशचंद खोड़े, अशोक पिल्ले, सुरेश डामोर, एसएम सलीम, ओपी बाथम, गोपाल धवन, प्रवीण कांबले, यशवंत कौशल, शिवम शर्मा, अशोक डागर, सुरेश पाल आदि सदस्य उपस्थित रहे.

स्कूल बस और एक्टिवा की टक्कर, एक्टिवा चालक गंभीर रूप से घायल

महू. शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे माल रोड पर मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल की छात्र-छात्राओं से भरी बस और एक एक्टिवा वाहन के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इसमें एक्टिवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बस में सवार छात्र-छात्राएं व स्टॉफ सुरक्षित रहे. घायल युवक की पहचान महू निवासी नीरज वर्मा (35 वर्ष) के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि एक्टिवा चालक सड़क पर दूर जा गिरा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही आर्मी के जवान और पुलिस मौके पर पहुंची. घायल नीरज वर्मा को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, उसका उपचार जारी है. हादसे के समय बस में 22 स्कूली बच्चे सवार थे, जो स्कूल जा रहे थे. स्कूल प्रबंधन को घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों को दूसरी बस से स्कूल भेजा गया.

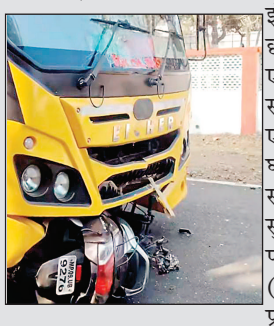

निगम कर्मचारी ने फांसी लगाकर दी जान

इंदौर. गांधी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले 32 वर्षीय प्रफुल्ल शिंदे ने देर रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह नगर निगम में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत था. थाना प्रभारी अनिल यादव ने बताया कि रात में काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने देखा तो वह फंदे पर लटका मिला.

परिजनों द्वारा उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने बताया कि प्रफुल्ल पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव में था और इससे पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था. वह नगर निगम के पल्हर नगर जोन में पदस्थ था. मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

युवक ने जहर खाकर किया सुसाइड-इंदौर. चंदन नगर थाना क्षेत्र की बक्षी गली में रहने वाले 42 वर्षीय राजू पिता महादेव ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजू की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, राजू लकड़ी पीठ में काम करता था. कुछ दिन पहले उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन गायब हो गए थे. बाद में बाइक चंदन नगर थाने से मिल गई, लेकिन मोबाइल नहीं मिला. इसी बात को लेकर वह लगातार परेशान रहने लगा था और शराब पीकर घर में झगड़ा भी करता था. उसके सिर में चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं. पत्नी दीपाली ने पुलिस को बताया कि जब राजू को उल्टियां होने लगीं तो पहले इसे सामान्य समझा, लेकिन बाद में उसने बेटी के सिर पर हाथ रखकर जहर खाने की बात कबूल की. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

पिकअप की टक्कर से मजदूर की मौत, छोटा भाई गंभीर घायल

इंदौर. देपालपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक सवार दो मजदूर भाइयों को टक्कर मार दी. हादसे में 30 वर्षीय बड़े भाई राधेश्याम पिता मोतीलाल निवासी ग्राम सतनवदा जिला झाबुआ की इलाज के दौरान एमवाय अस्पताल में मौत हो गई, जबकि छोटा भाई महेश गंभीर रूप से घायल है. पुलिस के अनुसार, दोनों भाई झाबुआ से देपालपुर क्षेत्र में एक किसान के खेत पर लहसुन निकालने के लिए मजदूरी करने आए थे. करीब पांच दिन पहले काम खत्म कर वे बाइक से बाजार सामान लेने जा रहे थे, तभी सामने से आ रही पिकअप ने उन्हें चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. ग्रामीणों की मदद से दोनों को तत्काल एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां राधेश्याम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जबकि घायल महेश का इलाज जारी है, पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

1.40 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपी धराए

बाइक और दो मोबाइल भी किए जब्त

इंदौर. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच इंदौर ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 14.06 ग्राम एमडी बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 लाख 40 हजार रुपये बताई जा रही है.

एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि कार्रवाई एमआर-10 ब्रिज के नीचे, आईएसबीटी बस स्टैंड के सामने की गई, जहां दोनों आरोपी बिना नंबर की काली होंडा दोपहिया वाहन के साथ संदिग्ध हालत में खड़े थे. तलाशी के दौरान मादक पदार्थ वाहन की सीट में छुपाकर रखा मिला. गिरफ्तार आरोपियों में धीरप सिंह तंवर और लाल सिंह चौहान दोनों निवासी मंदसौर शामिल हैं. धीरप ने आठवीं तक और लाल सिंह ने सातवीं तक पढ़ाई की है तथा खेती-बाड़ी का काम करते हैं. पूछताछ में दोनों ने सस्ते में नशा खरीदकर इंदौर में महंगे दामों पर बेचने की बात कबूल की है. पुलिस ने आरोपियों से 14.06 ग्राम एमडी, एक दोपहिया वाहन और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जब्त माल की कीमत लगभग 2.50 लाख रुपये आंकी गई है. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 3774/जल/डब्ल्यु.डब्ल्यु.डी/इन्दौर

सूचना-विज्ञप्ति

दिनांक: 30/01/2026

एतद द्वारा सर्व साधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है कि म.प्र. मत्स्य पालन निति 2008 एवं उपसचिव म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र पृष्ठांकन क्र.एफ-8-0001/12/18-8 भोपाल दिनांक 24.01.2012 एवं अपर सचिव म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र पृष्ठांकन क्र. एफ-8-01/2012/18-8 भोपाल, दिनांक 30.07.2015 के तहत नगर पालिक निगम इन्दौर स्वामित्व के निम्नानुसार जलाशयो/ तालाब मछली पालन/मत्स्याखेट हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर मछुआ सहकारी समिति/समूह में पंजीकृत एवं वंशानुगत मछुआ जातियों को दिया जाना है इच्छुक आवेदकों से ऑफ लाईन आवेदन सील बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते है। तालाबों के पट्टे से संबधित शर्तों की जानकारी जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन संस्था/समिति के लेटर पेड पर संबधित समस्त दस्तावेज जो आवश्यक है सत्यापित कर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यपालन यंत्री जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग में निर्धारित दिनांक को प्रस्तुत की जावेगी।

क्र.	तालाब का नाम	जलक्षेत्र हेक्टेयर में	पटटा अवधि	लागू नियम
1	लिम्बोदी तालाब	52.16	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
2	लसुडिया मोरी तालाब	2.629	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
3	निपानिया तालाब	3.370	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
4	तलावली चांदा तालाब	15.440	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
5	हुक्माखेडी तालाब	6.065	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
6	अहिरखेडी तालाब	0.625	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
7	टिगरिया बादशाह तालाब	18.823	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
8	बड़ा बिलावली तालाब	387.83	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
9	छोटा बिलावली तालाब	19.43	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
10	छोटा बांगडदा तालाब	4.867	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
11	कनाड़िया तालाब-01	7.14	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
12	कनाड़िया तालाब-02	4.59	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
13	कनाड़िया तालाब-03	1.55	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
14	पिपलियाहाना तालाब	3.41	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
15	पिपलिया पाला	47.82	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
16	मायाखेड़ी	0.91	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
17	पत्थर मुंडला	1.897	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
18	अरंडिया तालाब	1.05	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008

उपरोक्त तालाबों को म.प्र. मत्स्य पालन निति 2008 के तहत जलाशयो/तालाब मछली पालन/मत्स्याखेट हेतु पटटा निम्न शर्तों के अधिन मछली पालन विभाग के निति निर्देशानुसार नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिये पट्टा प्रदान किया जावेगा.

1. आवेदक तालाब पट्टे के लिये आवेदन सुस्पष्ट एवं आवश्यक निम्नानुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें।
   - अ. पंजीकृत सहकारी समितियों के लिये – पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यक्षेत्र प्रमाण पत्र, सदस्यों की सूची, तालाब/जलाशयो को पट्टे पर लेने हेतु समिति का प्रस्ताव विगत तीन वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट, समिति को आवटित अन्य तालाब/जलाशय की सूची।
   - ब. स्वयं सहायता समूह – स्थानीय, गठित स्व सहायता समूह का उद्देश्य सदस्यों की सूची पास बुक छायाप्रति, बैंक नोड्यूस प्रमाण पत्र एवं अन्य विवरण।
   - स. व्यक्तिगत – स्थानीय गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, बैंक नोड्यूस प्रमाण पत्र आदि।
2. अपूर्ण आवेदन स्वत: निरस्त माना जायेगा।
3. पट्टा राशि का निर्धारण जल क्षेत्र पर मत्स्य निति के आधार पर किया जायेगा।
4. आवेदक किसी भी प्रकार से दोशी अथवा डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।
5. आवेदन पर शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम से ही विचार किया जायेगा। प्राथमिकता कम से कम जल क्षेत्र की 08 किलो मीटर परिधि की पंजीकृत वंशानुगत मछुआ समिति/अनुसुचित जनजाति/अनुसुचित जाति/ पिछडा वर्ग/ सामान्य वर्ग सहकारी समितियाँ एवं उक्तानुसार क्रम में मछुआ समूह (मत्स्य विभाग द्वारा) अनुशंसित।
6. पट्टा आवंटन, प्रांरभिक पट्टा राशि मत्स्य पालन निति अनुसार नगर पालिक निगम में 10 दिवस में जमा करनी होगी अन्यथा द्वितीय निविदाकार/ आवेदक को प्राथमिकता क्रम अनुसार पात्रता दी जावेगी।
7. जलाशय के पानी का किसी भी प्रकार का उपयोग मत्स्य पालन के अतिरिक्त अन्य उपयोग हेतु प्रतिबंधित रहेगा। निगम तालाब की जलकुंभी/ जलीय अवांछित वनस्पति/ जीव जन्तु हटाने व तालाब के शुद्विकरण हेतु संयंत्र/उपकरण लगायेगा साथ ही तालाब के जलक्षेत्र में नाकायन एवं जलीय स्पोटर्स एक्टीविटी हेतु पृथक से आवंटन कर सकेगा। उक्त एक्टीविटी के संबंध में पट्टा धारकों को किसी प्रकार की आपत्ति लेने का अधिकार नहीं रहेगा।
8. जलाशय/तालाब पर बिना अनुमति कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
9. जलाशय/तालाब का पानी प्रदूषित ना हो इस हेतु पट्टा धारक का उत्तरदायित्व होगा नियमों का पालन ना होने की दशा में पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. तालाब की पाल अथवा तालाब को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावें, अन्यथा पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।
11. म.प्र. मत्स्य निति में निर्धारित नियम में निति में निर्धारित पंजीयन व अनुसंशा की आवश्यकता की पूर्ति अनुसार ही आवंटन हेतु वरियता/प्राथमिकता क्रम निर्धारित होगा।
12. शासन द्वारा निर्धारित बंद ऋतु के पालन के साथ ही अन्य संशोधित एवं नगर पालिक निगम द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा।
13. पट्टा आवंटन के संबंध में विभाग की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों को मान्य होगा।
14. अन्य जानकारी के लिये कार्यालय नगर शिल्पज्ञ, जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज/नगर निगम से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
15. पट्टा चयन के बाद पट्टा प्राप्तकर्ता को स्वयं के खर्च से अनुबंध का निष्पादन करना होगा।
16. मत्स्य निति में निर्धारित समयानुसार वार्षिक पट्टे का आवेदन शुल्क प्रतिवर्ष समय पर निगम में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
17. तालाब की पाल के पास बिज प्रजनन के लिये खंदक खोदना प्रतिबंधित होगा।

1	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व स्थान	– दिनांक 06.03.2026 शाम 5:00 बजे तक कार्यपालन यंत्री ड्रेनेज कार्यालय में
2	निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम दिनांक व स्थान	– दिनांक 09.03.2026 शाम 5:00 बजे पश्चात् कार्यपालन यंत्री ड्रेनेज कार्यालय में

कार्यपालन यंत्री
ड्रेनेज विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

एक नजर में

लगातार बढ़ते दबाव और जन आक्रोश के बाद लीकेज सुधारने और नई पाइपलाइन बिछाने का काम युद्धस्तर पर शुरू

भागीरथपुरा की घटना के बाद सभी वार्डों में पार्षद व निगम अधिकारी हुए सक्रिय

इंदौर. शहर में पिछले कई वर्षों से दूषित पानी की समस्या गंभीर रूप से व्याप्त है. आम नागरिकों ने हेल्पलाइन, वार्ड कार्यालयों और जोन स्तर पर बार-बार शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लगातार अनदेखी की गई, जिससे कुछ क्षेत्रों में हालात बिगड़ गए और भागीरथपुरा जैसी भीषण घटना सामने आई. शहर में दूषित पानी की समस्या के कारण भागीरथपुरा और अन्य क्षेत्रों में गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है, जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और सभी 85 वार्डों में पार्षद एवं निगम अधिकारी सक्रिय हो गए हैं.

उल्लेखनीय है कि दूषित पानी के सेवन से भागीरथपुरा में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है. यह आंकड़ा प्रशासनिक लापरवाही की भयावह तस्वीर पेश करता है. लगातार बढ़ते दबाव और जन आक्रोश के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आया. उच्च स्तर से सख्त निर्देशों के बाद शहर के प्रत्येक वार्ड में लीकेज सुधारने और नई पाइपलाइन बिछाने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है. नगर निगम द्वारा क्षेत्रों में पानी के नमूने लिए जा रहे हैं और पाइप लाइनों की क्लोरिनेशन की जा रही है. इस संकट के बाद प्रशासन अब शहर के सभी क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दे रहा है.

हालांकि, सवाल अब भी कायम है कि क्या यह कार्रवाई स्थायी समाधान साबित होगी या फिर कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा. शहरवासियों की मांग है कि केवल तात्कालिक जांच नहीं. बल्कि पूरे जलप्रदाय सिस्टम का स्थायी सुधार किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी नागरिक को दूषित पानी के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े. अब देखना यह है कि प्रशासन के दावों के बीच इंदौरवासियों को वास्तव में कितना स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल पाता है.

यह बोले पार्षद...

ज्यादातर लोगों ने घरों में चेंबर बनाए हैं, जो कच्चे होते हैं. उसके पानी से रिसाव होता है. ऐसे में लीकेज ढूंढना मुश्किल होता है. हमें सौ-सौ मीटर तक लाइन बदलना पड़ रही है.

- लक्ष्मी वर्मा, पार्षद, वार्ड 79

वर्षों पुरानी लाइन हो चुकी है, जहां भी शिकायत मिलती है, वहां नई लाइन डाल रहे हैं. इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि चैंबर और लाइन में दूरी बनी रहे.

- फातिमा खान, पार्षद, वार्ड 2

सभी लाइन अंडरग्राउंड होती हैं, कोई यंत्र भी नहीं होता, इस कारण लीकेज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम तुरंत झोन अधिकारियों को बुलाकर समाधान करवाने की कोशिश करते हैं.

- राकेश सोलंकी, पार्षद, वार्ड 35